State Council of Educational
Research & Training, Chhattisgarh
Shankar Nagar, Raipur (C.G.)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़,
शंकर नगर, रायपुर

Telephone 0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website www.scert.cg.gov.in Email scertcg@gmail.com

दूरस्थ शिक्षा से डी.एड. प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्देश।

—00—

"निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009" के पालनार्थ राज्य के शासकीय एवं शत् प्रतिशत् अनुदान प्राप्त प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक /हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में कार्यरत समस्त अप्रशिक्षित सहायक शिक्षक/सहायक शिक्षक पंचायत/ सहायक शिक्षक (विज्ञान)/सहायक शिक्षक पंचायत (विज्ञान)/शिक्षक/शिक्षक पंचायत, जिनकी नियुक्ति 3 सितम्बर 2001 के पश्चात हुई हो एवं जिनके पास डी.एड. या बी.एड. की डिग्री नहीं है, के लिये दूरस्थ शिक्षा पद्धति से डी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

वर्तमान सत्र 2013–14 हेतु ऑनलाइन की प्रक्रिया मार्च 2013 से की जा रही है एवं इसके लिए आवेदन की तिथि कई बार बढ़ाए जाने के बाद भी कुछ अप्रशिक्षित शिक्षक अभी तक आवेदन नहीं कर पाए है। *इनके ऑनलाइन आवेदन हेतु अंतिम अवसर दिनांक 18.09.2013 से 25.09.2013 तक उपलब्ध कराया जा रहा है।* इस अवधि में एस.सी.ई.आर.टी.के वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन कर इसकी प्रिंट अपने संस्था प्रमुख से सत्यापित कराकर अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ केन्द्र में जमा करेगें। जिन शिक्षकों ने विगत् वर्ष 2012–13 में प्रशिक्षण हेतु आवेदन किया था एवं इस वर्ष अपने आवेदन को अपडेट नहीं कर पाए हों, ऐसे आवेदक भी उपरोक्त प्रक्रिया से नवीन आवेदन करेगें।

इस हेतु एस.सी.ई.आर.टी.वेबसाइट scert.cg.gov.in में जाकर ऑनलाइन आवेदन दिनांक 18.09.2013 से 25.09.2013 तक की जा सकती है। निर्धारित अवधि में आवेदन नहीं करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होंगे। आवेदन की तिथि आगे नहीं बढ़ाई जावेगी।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत सीटों की संख्या से अधिक प्रशिक्षार्थियों का पंजीयन होने पर दिनांक 18.09.2013 से 25.09.2013 तक की अवधि में पंजीकृत प्रशिक्षार्थियों में से उपलब्ध सीटों हेतु वरिष्ठता के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।

(अनिल राय)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग.रायपुर

1. सत्र 2013-14 के लिये आवेदन किये हुये पात्रता रखने वाले प्रशिक्षार्थी जो प्रवेश नहीं ले पाये है वे संबंधित केन्द्र में दिनांक 25/09/2013 तक प्रवेश लेगें।

2. संबंधित केन्द्र सभी पात्रता रखने वाले प्रशिक्षार्थियों को प्रवेश देंगें, यदि किसी केन्द्र में अत्यधिक पात्रता रखने वाले प्रशिक्षार्थी होते हैं तो 26/09/2013 के पश्चात अत्यधिक पात्रता रखने वाले प्रशिक्षार्थी वाले केन्द्र से संबन्धित निर्णय एस.सी.ई.आर.टी. स्तर पर लिया जायेगा। अतः केन्द्र स्तर पर सत्र 2013-14 में आवेदित किसी भी पात्रता रखने वाले प्रशिक्षार्थी को अधिक संख्या के आधार पर प्रवेश लेने से मना नहीं किया जायेगा।

****